अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2020 (RCMS 2020/00053) विकास पुत्र पूर्णराम सहारण जाति जाट, वीपीओ मम्मड़खेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94610–82487) बनाम लो.सू.अ. एवं प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

21.10.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विकास स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2019 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी विकास ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2019 से निम्न सूचना चाही थी :

1. सिविल लाईन स्थित राजकीय आवास संख्या जी–97 वर्तमान में जिस भी अधिकारी/कर्मचारी को आंवटित है उस आवंटन पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. उक्त आवास में रह रहे अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति।

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ.40(33)सामान्य/सू.अ./2019/247 दिनांक 09.01.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में पूर्ण विवरण, आवंटन आदेश क्रमांक दिनांक एवं पत्रावली का पूर्ण विवरण अंकित नही किया है। पूर्ण विवरण उपलब्ध नही होने की दशा में रिकार्ड तलाश करना संभव नही है। साथ ही आप द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबधित है, जो नियमानुसार नही दी जा सकती।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(सतर्कता), श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का जवाब लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 09.01.2020 को उक्तानुसार दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है,** सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर